आवश्यक/महत्वपूर्ण

संख्या-3/2015/520/31-2015-65/2013-टी0सी0

प्रेषक,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त नोडल अधिकारी,
(सूची के अनुसार)
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, लखनऊ दिनांक: 10 फरवरी,2015

विषय:- शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यक्रमों के नोडल अधिकारियों द्वारा उच्च स्तरीय अनुश्रवण एवं स्थलीय निरीक्षण की व्यवस्था में आंशिक संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के शासनादेश संख्या- 2158/31-2013-65/3013 टी0सी0 दिनांक-06-09-2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के स्थलीय निरीक्षण के लिए जनपदों का भ्रमण हेतु नवीन व्यवस्था लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत नोडल अधिकारियों को अपने आवंटित जनपदों का माह में एक बार भ्रमण कर चिन्हित कार्यक्रमों की समीक्षा/निरीक्षण किये जाने के निर्देश दिए गए थे।

2- उपर्युक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नोडल अधिकारियों द्वारा अब आवंटित किए गए जनपद में प्रत्येक दो माह में एक बार यथा-जनवरी, 2015 से फरवरी, 2015 के मध्य प्रथम बार, मार्च से अप्रैल, 2015 के मध्य दूसरी बार, मई से जून, 2015 के मध्य तीसरी बार, जुलाई से अगस्त, 2015 में चौथी बार, सितम्बर से अक्टूबर, 2015 के मध्य पॉचवी बार, एवं नवम्बर से दिसम्बर, 2015 में छठी बार, इस प्रकार वर्ष में कुल 6 बार जनपदीय निरीक्षण व भ्रमण कार्य किया जाएगा।

3- नोडल अधिकारियों द्वारा प्रत्येक द्विमाह के प्रथम माह की 21 तारीख तक जनपदीय निरीक्षण कार्य सम्पन्न किया जाए तथा अपरिहार्य कारणवश यदि निरीक्षण कार्य इस अवधि में सम्भव न हो तो प्रथम माह के चौथे सप्ताह तक अवश्य कर लिया जाए।

4- नोडल अधिकारियों द्वारा निरीक्षण आख्या प्रत्येक द्विमाह के प्रथम माह के अन्तिम कार्य दिवस तक हार्ड कापी के रूप में प्रेषित की जाए एवं वेबसाइट पर भी अपलोड की जाए।

5- सभी प्रशासकीय विभाग तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी निरीक्षण आख्या का अनुपालन वेबसाइट व हार्ड कापी के रूप में समयान्तर्गत (30 कार्य दिवसों के अन्दर) सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या- 3/2015/520/31-2015-65/2013-टी0सी0-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद् उ0प्र।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(डा0रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिवA

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।